(९)

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग
अधिसूचना

सं०–वि०नि० –509 / 13 ..... / रॉची, दिनांक : 12 मई, 2015

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग की झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, निविदा सूचना, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्रियों को विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने तथा केन्द्रीकृत भुगतान एवं अनुश्रवण करने का दायित्व निर्धारित है। अब तक यह कार्य सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०–328 दिनांक–13.07.1981 के दिशा निर्देशों की मूल भावना के परिप्रेक्ष्य में निष्पादित किया जा रहा है। परन्तु बदलते हुए परिवेश, कार्य प्रकृति, प्रांकेया, वित्तीय शक्तियों का उपयोग एवं रेडियो, दूरदर्शन, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेबसाईट / न्यूज पोर्टल, राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण पत्र / पत्रिकाओं में विज्ञापन की भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से झारखण्ड विज्ञापन नियमावली का गठन आवश्यक है।

अतः तत्संबंधी विद्यमान उपबंधों एवं नियमों को अवक्रमित करते हुए झारखण्ड सरकार, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग निम्नलिखित नियमों को गठित करती है।

1. (i) **इन नियमों को झारखण्ड विज्ञापन नियमावली 2015 कहा जायेगा।**

(ii) **ये नियम जारी करने की तिथि से प्रभावी होंगे।**

2. परिभाषा:– इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(i) 'समाचार पत्र' से अभिप्रेत है दैनिक समाचार पत्र।

(ii) 'विभिन्न माध्यमों' से अभिप्रेत है समाचार पत्र / पत्रिका / इलेक्ट्रोनिक मीडिया के सेटेलाईट चैनल / रेडियो / वेबसाईट।

(iii) 'सचिव' से अभिप्रेत है प्रधान सचिव / सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग।

(iv) निदेशक से अभिप्रेत है निदेशक, जन–सम्पर्क निदेशालय।

(v) 'जाँच समिति' से अभिप्रेत है 'जिला स्तरीय जाँच समिति' (कंडिका 4 (i) (क) के अनुसार गठित।

(vi) 'प्राधिकृत समिति' से अभिप्रेत है 'राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति'। (कंडिका 4 (i) (घ) के अनुसार गठित।

(vii) 'डी०ए०वी०पी०' से अभिप्रेत है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का 'विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय'

(viii) 'पंजीयक' से अभिप्रेत है 'भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक'।

(ix) 'ए०बी०सी०' से अभिप्रेत है 'ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन'।

(x) 'उपक्रम' से अभिप्रेत है 'झारखण्ड सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़ने वाले सभी बोर्ड / निकाय / निगम / लोक उपक्रम / प्रतिष्ठान / समिति'।

(xi) 'विज्ञापन' से अभिप्रेत है सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों से प्राप्त होने वाला विज्ञापन एवं सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया विज्ञापन / सजावटी विज्ञापन जिसे विभाग द्वारा प्रकाशित / प्रसारित कराया जाना है।

(xii) 'रेडियो' से अभिप्रेत है– रेडियो / सामुदायिक रेडियो / एफ०एम० चैनल।

(xiii) 'सेटेलाईट चैनल' से अभिप्रेत है–इलेक्ट्रोनिक मीडिया के वैसे सेटेलाईट चैनल जिनका प्रसारण टेलीविजन / अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम पर होता है।

(xiv) 'वेबसाईट' से अभिप्रेत है इन्टरनेट वेबसाईट / पोर्टल / सोशल मीडिया।

(xv) 'विभाग' से अभिप्रेत है 'सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग'।

3. उद्देश्य :– झारखण्ड विज्ञापन नीति के उद्देश्य निम्नवत हैं :-

(क) झारखण्ड सरकार की नीतियों / कार्यक्रमों / सूचनाओं / उपलब्धियों का जनहित एवं लोकहित में प्रचार–प्रसार करना।
(ख) विज्ञापन हेतु पात्रता निर्धारित करना।
(ग) विज्ञापन को लक्षित वर्ग तक प्रभावकारी ढंग से पहुँचाना।
(घ) प्रचार–प्रसार करने हेतु विभिन्न माध्यमों का समुचित उपयोग करना।
(ङ) सभी विज्ञापनों की स्वीकृति, निर्गत वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन एवं भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित करना।

4. विज्ञापन प्राप्त करने हेतु विभिन्न माध्यमों के लिए प्रावधान एवं पात्रता :–

(i) स्वीकृत सूची हेतु समाचार पत्रों के लिए प्रावधान : –

(क) समाचार पत्रों के स्वीकृत सूची में शामिल होने की प्रक्रिया :– स्वीकृत सूची में नाम सम्मिलित कराने के इच्छुक समाचार पत्र को सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के तहत निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–1) में आवेदन निदेशक को देना होगा। निदेशक आवेदन की जाँच हेतु आवेदन संबंधित जिला (समाचार पत्र के प्रकाशन / मुद्रण स्थल का जिला) में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित 'जाँच समिति' के विचारार्थ प्रेषित करेंगे। 'जाँच समिति का स्वरूप' इस प्रकार होगा:–

उपायुक्त	–	अध्यक्ष
पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
प्रमंडलीय उप निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग	–	सदस्य
उपाधीक्षक विशेष शाखा	–	सदस्य
जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव

(ख) संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग आवेदित समाचार पत्र की विगत एक वर्ष में प्रकाशित सामग्रियों की स्वर एवं प्रवृत्ति, नीति, भाषा शैली, गुणवत्ता सहित अनैतिक, साम्प्रदायिक, सामाजिक–विद्वेष, भयादोहन इत्यादि से संबंधित सामग्रियों की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे तथा जाँच प्रतिवेदन जाँच समिति के समक्ष रखेंगे। जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, प्रकाशन की निरंतरता, नियमितता तथा सम्यक प्रसार से संबंधित जाँच प्रतिवेदन जाँच समिति के समक्ष रखेंगे।

(ग) उपाधीक्षक विशेष शाखा आवेदित समाचार पत्र के प्रकाशक की गोपनीय अभ्युक्ति साख तथा सत्य निष्ठा से संबंधित जाँच प्रतिवेदन जाँच समिति के समक्ष रखेंगे। जाँच समिति आवेदन की समीक्षा करते हुए आवेदन अपने मंतव्य सहित प्राधिकृत समिति को प्रतिवेदित करेगी।

(घ) विभाग "जाँच समिति" से प्राप्त आवेदन को स्वीकृत सूची में शामिल करने पर विचारार्थ प्राधिकृत समिति की बैठक आयोजित करेगा। बैठक वर्ष में दो बार (जून / जुलाई तथा नवम्बर / दिसम्बर) आयोजित होगी।

प्राधिकृत समिति का स्वरूप निम्न प्रकार होगा:–

प्रधान सचिव / सचिव, गृह विभाग	–	अध्यक्ष
प्रधान सचिव / सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग	–	सदस्य
अपर महानिदेशक / महानिरीक्षक (विशेष शाखा)	–	सदस्य
वित्त विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप सचिव से अन्यून)	–	सदस्य
निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग	–	सदस्य
उप निदेशक / प्रभारी पदाधिकारी विज्ञापन	–	सदस्य सचिव

(ङ) प्राधिकृत समिति आवश्यकता, व्यवहारिकता एवं राज्यहित को ध्यान में रखते हुए जिला समिति से प्रतिवेदित आवेदन पर विचार करेगा तथा विभाग प्राधिकृत समिति के मंतव्य पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(च) स्वीकृत सूची में शामिल होने वाले समाचार पत्र की पात्रता :–

i. समाचार पत्र का प्रकाशन हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जनजातीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा में होना आवश्यक होगा।

ii. समाचार पत्र को प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 पंजीयक से निबंधित होना होगा।

iii. समाचार पत्र को डी०ए०वी०पी० में सूचीबद्ध होना होगा।

iv. पंजीयक डी०ए०वी०पी० / ए०बी०सी० द्वारा प्रसार संख्या का प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा।

v. हिन्दी एवं अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों का न्यूनतम आकार 33 से०मी० X 45 से०मी० एवं 7 कॉलम होगा तथा पृष्ठों की संख्या न्यूनतम 12 होगी। हिन्दी के दैनिक समाचार पत्रों की प्रसार संख्या न्यूनतम 40,000 होगी तथा अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों की प्रसार संख्या न्यूनतम 20,000 होगी। उर्दू समाचार पत्रों का न्यूनतम आकार 33 से०मी० X 45 से०मी० तथा 7 कॉलम होगा एवं पृष्ठों की संख्या न्यूनतम 8 होगी। उर्दू समाचार पत्रों का न्यूनतम प्रसार संख्या 15,000 होगा। जनजातीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्रों का न्यूनतम आकार 33 से०मी० X 45 से०मी० तथा 5 कॉलम एवं पृष्ठों की संख्या न्यूनतम 8 होगी। जनजातीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र के लिए न्यूनतम प्रसार संख्या 5000 होगी।

vi. समाचार पत्र का कम से कम 12 महीनों तक अबाध्य (समाचार पत्रों के द्वारा घोषित अवकाश को छोडकर) प्रकाशन आवश्यक होगा। समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर पत्र का नाम, वर्ष, अंक, कुल मुद्रित पृष्ठ, मूल्य, स्थान, दिन व दिनांक तथा प्रत्येक पृष्ठ पर समाचार पत्र का नाम, पृष्ठ संख्या व दिनांक मुद्रित होनी चाहिए।

vii. दैनिक समाचार पत्रों को आवेदन में प्रेस के पता का उल्लेख आवश्यक होगा।

viii. स्वीकृत सूची में शामिल होने हेतु आवेदनकर्त्ता को समाचार पत्र की बिक्री से दिया गया आयकर रिटर्न, विगत एक वर्ष में क्रय किये गये कागज का प्रमाण पत्र तथा विगत एक वर्ष का विद्युत खर्च करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। कार्यरत कर्मियों की संख्या का भी उल्लेख करना होगा। उन्हें झारखण्ड सरकार के अधीन श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देय होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

ix. न्यायालय/किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा दंडित/कालीकृत लोगों द्वारा प्रकाशित/मुद्रित एवं संपादित समाचार पत्र आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे।

x. सांप्रदायिक अथवा सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृत सूची में नहीं रखा जायेगा।

(छ) वैसे समाचार पत्र जो पाँच राज्यों से प्रकाशित हो रहे हैं तथा इनका कुल प्रसार संख्या एक लाख से अधिक है तथा स्वीकृत सूची में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें भी डी०ए०वी०पी० की सूची में सूचीबद्ध हो होगा। समाचार पत्रों के पंजीयक, भारत सरकार/ए०बी०सी०/डी०ए०वी०पी० से प्रसार संख्या का प्रमाण अपेक्षित होगा। समाचार पत्र का न्यूनतम आकार 33 से०मी० X 45 से०मी० तथा 7 कॉलम होना चाहि पृष्ठों की न्यूनतम संख्या 12 होनी चाहिए। विभाग में उनके द्वारा दिये गये आवेदन पर सीधे प्राधिकृत स द्वारा विचार किया जायेगा।

(ज) वैसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र जिनका प्रसार संख्या अधिक है तथा वे राज्य सरकार की स्वीकृत सू सम्मिलित नहीं है तथा विज्ञापन देना आवश्यक है तो विभाग कंडिका 17 में निहित प्रावधानों के आलो विभागीय मंत्री की सहमति से विज्ञापन जारी किया जा सकता है।

(ii) स्वीकृत सूची हेतु पत्रिका की पात्रता :-

(क) (i) राष्ट्रीय पत्रिकाओं (जिनका प्रकाशन राज्य से बाहर होता हो) के आवेदन पर प्राधिकृत समिति सीधे विचार करेगी।

(ii) राष्ट्रीय स्तर के पत्रिकाओं के स्वीकृत सूची में शामिल होने हेतु विभाग में आवेदन देना होगा। राष्ट्रीय स्तर के हिन्दी एवं अंग्रेजी मासिक पत्रिका का प्रसार कम से कम पाँच राज्यों में होना चाहिए त संख्या कम से कम 75,000 (पचहत्तर हजार) होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के पाक्षिक पत्रिका संख्या 50,000 (पचास हजार) एवं साप्ताहिक पत्रिका का प्रसार संख्या 30,000 (तीस हजार) होन कम से कम तीन राज्यों में पाक्षिक/साप्ताहिक पत्रिका का प्रसार होना चाहिए। पत्रिका क आकार 15 से०मी० X 23 से०मी० होगा तथा पृष्ठों की न्यूनतम संख्या 32 होनी चा

डी०ए०वी०पी० की सूची में सूचीबद्ध होना होगा तथा पंजीयक, ए०बी०सी०/डी०ए०वी०पी० द्वारा प्रसार संख्या का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

(ख) (i) झारखण्ड से प्रकाशित हिन्दी मासिक, पाक्षिक एवं साप्ताहिक पत्रिका के लिए न्यूनतम प्रसार संख्या क्रमशः 20,000, 10,000 एवं 10,000 होगा। अंग्रेजी मासिक, पाक्षिक एवं साप्ताहिक पत्रिका के लिए न्यूनतम प्रसार संख्या क्रमशः 10,000, 5,000 एवं 3,000 होगी। उर्दू तथा जनजातीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा के मासिक, पाक्षिक एवं साप्ताहिक पत्रिका का प्रसार संख्या क्रमशः न्यूनतम 8000, 5,000 एवं 3000 रहेगी। उपरोक्त सभी पत्रिका का न्यूनतम आकार 15 से०मी० x 23 से०मी० होगा तथा पृष्ठों की न्यूनतम संख्या 32 होगी। इन सभी पत्रिकाओं को डी०ए०वी०पी० द्वारा सूचीबद्ध होना होगा। प्रसार संख्या का प्रमाण पत्र पंजीयक ए०बी०सी०/डी०ए०वी०पी० का होना आवश्यक होगा।

(ii) राज्य स्तरीय पत्रिकाओं को स्वीकृत सूची में शामिल होने हेतु समाचार पत्रों की भाँति विभाग में आवेदन देना होगा। प्राप्त आवेदन को विभाग 'जाँच समिति' की अनुशंसा हेतु प्रकाशन स्थल से संबंधित जिला को प्रेषित करेगा। जाँच समिति अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन प्राधिकृत समिति को प्रेषित करेगा।

(iii) स्वीकृत सूची हेतु रेडियो के लिए प्रावधान एवं पात्रता :–

(क) भारत सरकार/राज्य सरकार/प्रसार भारती द्वारा संचालित रेडियो चैनल स्वतः स्वीकृत सूची में समाविष्ट माने जायेंगे।

(ख) निम्नांकित पात्रता रखने वाले रेडियो चैनल स्वीकृत सूची में सम्मिलित करने हेतु विभाग में आवेदन (परिशिष्ट – 1) देने के पात्र होंगे:

(i) ऐसे रेडियो चैनल जो समाचार/सामयिक घटनाओं/सामाजिक/आर्थिक/सांस्कृतिक/व्यवसायिक विषयों पर कार्यक्रम का प्रसारण करते हों तथा राष्ट्र अथवा झारखण्ड राज्य की जनसंख्या के व्यापक हिस्से को आच्छादित करते हों।

(ii) रेडियो चैनल भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार से निबंधित होने चाहिए।

(iii) झारखण्ड में उनका निबंधित कार्यालय होना चाहिए।

(iv) रेडियो चैनल का डी०ए०वी०पी० से दर निर्धारित होना चाहिए।

(v) विभाग रेडियो चैनलों के द्वारा उनके प्रसारण के पहुँच का दावा करने वाले जिलों के उपायुक्त/जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी से तत्संबंधी प्रतिवेदन की माँग कर सकता है।

(vi) आवेदन की तिथि से पूर्व कम से कम 12 महीनों के अबाधित प्रसारण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) विभाग आवेदन को प्राधिकृत समिति के विचारार्थ रखेगा। प्राधिकृत समिति के मंतव्य पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(iv) स्वीकृत सूची हेतु सेटेलाईट चैनल की पात्रता एवं प्रावधान:–

(क) भारत सरकार/राज्य सरकार/प्रसार भारती द्वारा संचालित टेलिविजन चैनल स्वतः स्वीकृत सूची में समाविष्ट माने जायेंगे।

(ख) निम्नांकित पात्रता रखने वाले सेटेलाईट चैनल स्वीकृत सूची में सम्मिलित करने हेतु विभाग में आवेदन (परिशिष्ट – 1) देने के पात्र होंगे:–

(i) ऐसे सेटेलाईट चैनल जो समाचार/सामयिक घटनाओं/सामाजिक/आर्थिक/सांस्कृतिक/व्यवसायिक विषयों पर कार्यक्रम का प्रसारण करते हों तथा झारखण्ड राज्य के 50 प्रतिशत से अधिक जिलों के व्यापक हिस्से को आच्छादित करते हों।

(ii) सेटेलाईट चैनल भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार से निबंधित होने चाहिए।

(iii) झारखण्ड राज्य में उनका निबंधित कार्यालय होना चाहिए।
विभाग सेटेलाईट चैनलों के द्वारा उनके प्रसारण के पहुँच का दावा करने वाले जिलों के उपायुक्त/जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी से तत्संबंधी प्रतिवेदन की मांग कर सकता है।

(iv) सेटेलाईट चैनल को डी०ए०वी०पी० से दर प्राप्त होना चाहिए।

(v) आवेदन की तिथि से पूर्व कम से कम 12 महीनों के अबाधित प्रसारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iv) विभाग आवेदन को प्राधिकृत समिति के विचारार्थ रखेगा। प्राधिकृत समिति के मंतव्य पर विभगीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(v) **स्वीकृत सूची हेतु वेबसाईट की पात्रता एवं प्रावधान :–**

निम्नांकित पात्रता रखने वाले वेबसाईट स्वीकृत सूची में सम्मिलित करने हेतु विभाग में आवेदन (परिशिष्ट – [illegible]) देने के पात्र होंगे।

(क) ऐसे वेबसाईट जो विगत एक वर्ष से झारखण्ड राज्य से संबंधित समाचार/सामयिक घटनाओं/सामाजिक/आर्थिक/सांस्कृतिक/व्यवसायिक विषयों पर कार्यक्रम का प्रसारण करते हो तथा डी०ए०वी०पी० में सूचीबद्ध हो।

(ख) वेबसाईट का औसत न्यूनतम [illegible] 1000 प्रतिदिन होना चाहिए।

(ग) सुप्रतिष्ठित एनालिटिकल डाटा के आधार पर वेबसाईट को अपना यूनिक यूजर बेस का सत्यापित प्रतिवेदन देना होगा।

(घ) जिस वेबसाईट का निबंधन, स्वामित्व एवं संचालन भारत में हो वही वेबसाईट आवेदन देने के पात्र होंगे।

(ड) वेबसाईट का झारखण्ड राज्य में निबंधित कार्यालय होना चाहिए।

(च) वेबसाईट साईबर सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रमाणित होना चाहिए।

(छ) विभाग आवेदन की जाँच हेतु आवेदन यथास्थिति संबंधित जिला स्तरीय जाँच समिति के विचारार्थ प्रेषित करेगा एवं जाँच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन को प्राधिकृत समिति के विचारार्थ रखेगा।

(vi) **विज्ञापन हेतु स्मारिका की पात्रता एवं प्रावधान :–**

राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्वैच्छिक संस्थानों के द्वारा विशेष अवसरों पर स्मारिका का प्रकाशन कराया जाता है जिसमें ऐसे संस्थानों के द्वारा विभाग से विज्ञापन की अपेक्षा की जाती है। ऐसे संस्थानों को विज्ञापन देने की पात्रता निम्नलिखित होगी :–

(क) विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन देने से लक्षित जन समूह को फायदा होगा।

(ख) संबंधित संस्थान किसी निजी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होगा।

(ग) संस्थान का गठन सामाजिक रूप में अथवा लोकहित में किया गया हो।

(घ) ऐसे संस्थानों को विभाग वर्ष में एक बार ही विज्ञापन देने में सक्षम होगा।

5. **विज्ञापन कोई अधिकार नहीं –**

(क) स्वीकृत सूची में शामिल होने वाले विभिन्न माध्यमों के स्वीकृत सूची में शामिल होने मात्र से विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इन्हें विभाग द्वारा प्रकाशन/प्रसारण/प्रदर्शन की आवश्यकता/लक्षित जन समूह/क्षेत्र तथा सरकार के मितव्ययिता परिपत्र इत्यादि को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन दिया जायेगा।

(ख) विभिन्न माध्यमों जो कि स्वीकृत सूची में शामिल होने की पात्रता रखते हैं, को स्वीकृत सूची में शामिल किया जाना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।

6. **आरोप/शिकायत पर कार्रवाई का अधिकार :–**

(क) विभिन्न माध्यमों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर सचिव/निदेशक विभाग को संबंधित माध्यम से कारण पृच्छा का अधिकार होगा। साथ ही जिस माध्यम के विरुद्ध शिकायत प्राप्त है, उसकी जाँच कराने के लिए सचिव/निदेशक स्वतंत्र होंगे। जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होने पर तथा सत्यता प्रमाणित होने पर सचिव को यह अधिकार होगा कि उस माध्यम का विज्ञापन तत्काल स्थगित कर, साक्ष्य एवं जाँच प्रतिवेदन को प्राधिकृत समिति के समक्ष अधिकतम छः माह के भीतर अनिवार्य रूप से रखेंगे, जिस पर प्राधिकृत समिति समीक्षा कर अपना मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराएगी।

(ख) 'प्राधिकृत समिति' जब भी चाहेगी, वह स्वीकृत सूची में शामिल 'विभिन्न माध्यमों' को राज्यहित/कार्यहित में बिना कारण बताये स्वीकृत सूची से बाहर करने के लिए प्रतिवेदित कर सकती है। प्राप्त प्रतिवेदन पर विभाग विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

7. **विज्ञापन निर्गम की प्रक्रिया :**

झारखण्ड सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़ने वाले सभी विभागों एवं झारखण्ड सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़ने वाले सभी निकाय/निगम/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/समिति (न्यायपालिका को छोड़कर) के समस्त विज्ञापन निर्गम कार्य विभाग में केन्द्रीकृत होंगे। ऐसे केन्द्रीकृत विज्ञापनों के निर्गम की प्रक्रिया निम्नवत् होगी –

(i) झारखण्ड सरकार का प्रत्येक विभाग एवं उपक्रम कार्यालय प्रधानों को चिन्हित करेगा जो अपने कार्यालय के लिए विज्ञापन निर्गत करने हेतु सक्षम होंगे। विज्ञापन निर्गत करने वाले सभी विभाग एवं उपक्रम विज्ञापन निकालने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी की सूची विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(ii) राज्य सरकार के विभागों के विज्ञापन भेजने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को सामान्यतः निविदा सूचना परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों पूर्व, अल्पकालीन निविदा के लिए 15 (पंद्रह) दिनों पूर्व तथा अति अल्पकालीन निविदा के लिए 7 (सात) दिनों पूर्व अपने विज्ञापन को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करना होगा। विभागों/उपक्रमों द्वारा सजावटी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 7 (सात) दिनों पूर्व विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना होगा। शिलान्यास/उद्घाटन से संबंधित सजावटी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 3(तीन) दिनों पूर्व विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करना होगा। इसके लिए संबंधितों को विभाग से आई–डी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) विभिन्न विभागों बोर्ड/निकाय/निगम/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/समिति द्वारा प्राप्त विज्ञापन सामग्री में व्याकरण/वर्तनी आदि संबंधी (विज्ञापन सामग्री के मूल तत्व के आधार पर) आवश्यकतानुसार मामूली परिवर्तन का अधिकार निदेशक को होगा। विषयवस्तु/अभिकल्पना के लिए विभाग/बोर्ड/निकाय/निगम/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/समिति जिम्मेवार होंगे।

(iv) विज्ञापन प्राप्त करने एवं निर्गत करने की व्यवस्था को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सुगम एवं सुविधाजनक बनाने हेतु परिवर्तन का अधिकार सचिव/निदेशक को होगा।

(v) विज्ञापन सामग्री प्राप्ति के बाद विज्ञापन की प्रकृति, प्राक्कलित राशि आदि के आधार पर लक्षित समूह को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकार द्वारा, विज्ञापन हेतु विभिन्न माध्यमों का चयन किया जायेगा। विभिन्न माध्यमों का चयन हो जाने पर, उसके प्रकाशन/प्रसारण/प्रदर्शन पर होने वाले व्यय की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी एवं उसे प्रकाशन/प्रसारण हेतु विभिन्न माध्यमों को निर्गत किया जायेगा। विभिन्न माध्यमों में विज्ञापन का निर्गम डी०ए०वी०पी० के मानदंडों को ध्यान में रख कर किया जायेगा।

(vi) विज्ञापन निर्गम की स्वीकृति के पश्चात् विभाग द्वारा निर्गमादेश (Release Order) निर्गत किया जायेगा, जिनमें अन्य बातों के अलावा विज्ञापन के आकार, प्रकृति, तिथि, संस्करण आदि का उल्लेख होगा। विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित करने वाले विभिन्न माध्यमों का यह दायित्व होगा कि वह निर्गमादेश में उल्लिखित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करें अन्यथा प्रकाशित/प्रसारित विज्ञापन भुगतान के योग्य नहीं माना जाएगा। इसके लिए सचिव/निदेशक समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी करेंगे।

(vii) विभाग राज्य सरकार के सभी विभागों एवं उपक्रमों की उपलब्धियों पर आधारित सजावटी विज्ञापन अपने स्तर से जनहित में प्रकाशित/प्रसारित करने हेतु सक्षम होगा।

8. **विज्ञापन के वितरण एवं भुगतान की प्रक्रिया :–**

(i) विभाग विज्ञापनों का निर्गम डी०ए०वी०पी० मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्य की स्वीकृत सूची के विभिन्न माध्यमों में करेगा।

(ii) स्वीकृत सूची में शामिल विभिन्न माध्यमों का यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् अगले माह की 7 तारीख तक विहित प्रक्रिया के अनुसार विज्ञापन विपत्र विभाग को उपलब्ध कराएगें। रेडियो चैनल/सेटेलाईट चैनल/वेबसाईट प्रसारण से संबंधित विवरणी सी०डी०/डी०वी०डी०/अन्य तकनीकी माध्यम से अपने विपत्र के साथ तथा प्रसारण प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(iii) प्राप्त विज्ञापन विपत्रों की सम्यक जाँचोपरान्त भुगतान की कार्रवाई विहित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

(iv) यदि कोई विज्ञापन त्रुटिपूर्ण अथवा गलत प्रकाशित/प्रसारित/प्रदर्शित होता है, तो वैसी स्थिति में प्रकाशक पुनः नियत समय सीमा (यदि शेष हो) में सही विज्ञापन सामग्री निःशुल्क प्रकाशित/प्रदर्शित करेंगे। समय सीमा अशेष होने पर प्रकाशित विज्ञापन का भुगतान नहीं किया जायेगा। बार–बार त्रुटिपूर्ण विज्ञापन के प्रकाशन होने पर संबंधित विभिन्न माध्यमों के लिए विज्ञापन निर्गम स्थगित कर दिया जायेगा।

(iv) त्रुटिपूर्ण प्रकाशित/प्रसारित विज्ञापनों से आवश्यक कटौती हेतु सचिव/निदेशक सक्षम प्राधिकार होंगे।

(v) सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के पश्चात् भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

9. **ग्लोबल विज्ञापन** :– सरकार के विभिन्न विभागों/उपक्रमों को ग्लोबल विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी परिस्थिति में वे समाचार पत्र/पत्रिका/चैनल/वेबसाईट का उल्लेख करते हुए विज्ञापन सामग्री विभाग को न्यूनतम सातदिन पूर्व उपलब्ध करायेगा। इस पर मुख्यमंत्री की सहमति से विज्ञापन निर्गत किया जा सकेगा। जिसका भुगतान उस माध्यम के लिए उस समय निर्धारित दर के आलोक में विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

10. **<u>झारखण्ड सरकार के उपक्रमों से प्राप्त विज्ञापनों के लिए प्रावधान</u>** :– <u>विभिन्न उपक्रमों के विज्ञापन विपत्रों का भुगतान उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से किया जायेगा</u>। उपक्रमों का दायित्व होगा कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही उपक्रम द्वारा 'विज्ञापन मद में 'कर्णांकित राशि' विभाग के बैंक खाता में जमा करायेंगे। उनके द्वारा जमा की गई राशि से उनके उपक्रम के लिए विभाग निर्गत विज्ञापनों का भुगतान करेगा तथा राशि कम होने पर उनसे पुनः राशि उपलब्ध कराने के लिए सूचित करेगा। उपक्रमों से प्राप्त राशि के लिए विभाग द्वारा अलग से एक पंजी संधारित की जायेगी जिसमें उनके द्वारा प्राप्त राशि एवं उनसे प्राप्त विज्ञापन पर हुये व्यय का लेखा रखा जाएगा। उपक्रमों के विज्ञापन पर होने वाले व्यय का पन्द्रह प्रतिशत राशि की कटौती विभाग द्वारा की जायेगी तथा इसका संधारण अलग खाते में किया जाएगा। कटौती की गई 15 प्रतिशत राशि से ही सजावटी विज्ञापन निर्माण/फिल्म निर्माण/न्यूज कैप्सूल/प्रोमो इत्यादि का निर्माण एवं अन्य संबंधित कार्य कराये जायेंगे।

11. **<u>होर्डिंग, दीवाल–लेखन, प्रदर्शनी, गीत–नाट्य, नुक्कड़ नाटक इत्यादि के प्रदर्शन के माध्यम से विज्ञापन के उद्देश्य को पूरा करना</u>** :– राज्य सरकार होर्डिंग, दिवाल लेखन, प्रदर्शनी, पारम्परिक माध्यमों यथा गीत–नाट्य, नुक्कड़ नाटक इत्यादि (प्रचार–प्रसार के विभिन्न माध्यमों) से लक्षित वर्ग समूह में प्रचार–प्रसार/विज्ञापन का कार्य करायेगी। इसके लिए विभाग उपयुक्त संस्थान/एजेन्सी/दल /फर्म इत्यादि को सूचीबद्ध कर उनसे कार्य कराने के लिए सक्षम होगा। विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन विभिन्न विभागों/संस्थानों के दरों को अंगीकार करेगा या निविदा के माध्यम से दरों को निर्धारित कर सकेगा।

12. **<u>विज्ञापन हेतु बोर्ड का गठन</u>** :– विज्ञापन की कार्यप्रणाली के सुदृढ़ीकरण, समय के अनुसार बदलती हुई समुन्नत तकनीक को शीघ्र अंगीकार करने, विभिन्न विभागों/झारखण्ड सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में रहने वाले सभी कार्यों, निगम/स्वायत्त/प्राधिकार/प्रतिष्ठान/समिति से प्राप्त विज्ञापनों के सुगमतापूर्वक निर्गमन, सजावटी विज्ञापन तैयार करने/भुगतान इत्यादि हेतु विभाग एक बोर्ड का गठन करेगा।

13. **<u>विभिन्न माध्यमों के स्वीकृत सूची में अंकित समाचार पत्र/पत्रिका/रेडियो चैनल/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के चैनल/वेबसाईट को स्वीकृत सूची से नाम हटाने संबंधी प्रावधान</u>** :–

सचिव निम्नांकित स्थितियों में से विभिन्न माध्यमों के किसी एक अथवा सभी का विज्ञापन स्थगित रखने तथा स्वीकृत सूची से नाम हटाने हेतु सक्षम होंगे, परन्तु इसकी सम्पुष्टि तीन महीनों के अंदर राज्य प्राधिकृत समिति से प्राप्त करना होगा :–

(i) यदि किसी भी समय यह प्रमाणित हो जाए कि विभिन्न माध्यमों द्वारा सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिये आवेदन करते समय दी गई सूचना मिथ्या थी अथवा ऐसे आवेदन के पश्चात् इसमें लगातार सच्चाई नहीं रहती है, या किसी समाचार–पत्र ने नियमों में निर्दिष्ट किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन किया है।

(ii) विज्ञापन प्राप्त करने वाले विभिन्न माध्यमों ने प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867, केबल टी०वी० नेटवर्क अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, और अन्य समय–समय पर जारी संबंधित नियमों/परिनियमों/अधिनियमों के उपबंधों का पालन नहीं किया है।

(iii) सार्वजनिक शालीनता और नैतिक मानदण्ड एवं देशहित के प्रतिकूल टीका टिप्पणी और सामग्री होने पर।

(iv) भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित आचार संहिता का अक्षरशः पालन नहीं करने पर।

(v) विभिन्न माध्यमों से अनैतिक समाज विरोधी कार्यों की शिकायत मिलने पर/न्यायालय/सक्षम प्राधिकार द्वारा दंडित किए जाने पर।

14. **<u>वार्षिक पुनरीक्षण</u>** :– सामान्यतः स्वीकृत सूची दो वर्षों के लिए मान्य होगी। विभाग प्रत्येक वर्ष प्राधिकृत समिति के समक्ष स्वीकृत सूची के संबंध में एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेगा, जिस पर प्राधिकृत समिति विचारोपरांत अवधि विस्तार के संबंध में निर्णय लेगी।

(7)

15. **पूर्व से स्वीकृत सूची के समाचार पत्र/पत्रिकाओं/इलेक्ट्रोनिक मीडिया/वेबसाईट इत्यादि की अनुमान्यता** :– वैसे समाचार पत्र/पत्रिकाओं/इलेक्ट्रोनिक मीडिया/वेबसाईट इत्यादि जो पूर्व से राज्य सरकार की स्वीकृत सूची में सम्मिलित है वे एक वर्ष के लिए स्वीकृत सूची में माने जायेंगे परंतु इस नियमावली में निहित प्रावधान के अनुसार प्राधिकृत समिति से उनकी अवधि विस्तार के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर निर्णय लिया जायेगा।

16. **समाचार पत्र/पत्रिकाओं/इलेक्ट्रोनिक मीडिया/वेबसाईट इत्यादि का दायित्व** :–

(क) विभाग के स्वीकृत सूची में सम्मिलित पत्र/पत्रिका/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के सेटेलाईट चैनल/रेडियो/एफ० एम० रेडियो चैनल/वेबसाईट जिन्हें विज्ञापन निर्गत किये जाते हैं के प्रकाशक/प्रबंधक नियमित रूप से अपने समाचार पत्र/पत्रिका की प्रतियां विभाग एवं संबंधित विज्ञापनदाता कार्यालय को निःशुल्क सुलभ करायेंगे।

(ख) निर्गमादेश (Release Order) के अनुरूप ही विज्ञापन का प्रकाशन/प्रसारण/प्रदर्शन किया जायेगा। विभिन्न माध्यमों के द्वारा अपने स्तर पर इस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

17. **विज्ञापन निर्गम के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन** :–

(क) किसी विभाग/एजेंसी से प्राप्त विज्ञापनों के आकार एवं सजावटी विज्ञापन की सामग्री में परिवर्तन, संशोधन करने का अधिकार एवं किसी विभाग की उपलब्धियों आदि से संबंधित सजावटी विज्ञापन तैयार कर प्रकाशित कराने एवं भुगतान करने का अधिकार विभाग का होगा।

(ख) वैसे विभिन्न माध्यमों जिनका डी०ए०वी०पी० दर है एवं वे स्वीकृति सूची में शामिल हैं, को विज्ञापन निर्गम के लिए निदेशक को 1,00,000/– (एक लाख) रू० तक, सचिव को 15,00,000/– (पन्द्रह लाख) रू० तक एवं 15,00,000/– (पन्द्रह लाख) रू० से अधिक के विज्ञापन व्यय की स्वीकृति की शक्ति विभागीय मंत्री में निहित होगी।

(ग) स्वीकृत सूची से बाहर के विभिन्न माध्यमों को डी०ए०वी०पी० दर नहीं रहने पर दर निर्धारण समिति की अनुशंसा पर सचिव को 5.00 लाख रू० तक, विभागीय मंत्री को 25.00 लाख रू० तक एवं 25.00 लाख रू० से अधिक राशि होने पर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

(घ) स्मारिका के प्रकाशन आकार, गुणवत्ता इत्यादि को ध्यान में रखकर विज्ञापन देने हेतु सचिव को अधिकत्तम 1,00,000/– रू० तक एवं विभागीय मंत्री को अधिकत्तम 5,00,000/– रू० तक की शक्ति प्रदत्त होगी। 5,00,000/– लाख रू० से अधिक के विज्ञापन के लिये मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा। इसके लिये आवेदन विभाग को देना होगा।

(ङ) वैसे पत्र/पत्रिका/इलेक्ट्रोनिक चैनल/वेबसाईट इत्यादि जिन्हें डी.ए.वी.पी. दर प्राप्त नहीं है तथा राज्य सरकार राज्यहित में इन पत्र–पत्रिका/चैनल इत्यादि में विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित कराना चाहती है तो इसके लिए सचिव की अध्यक्षता में एक दर निर्धारण समिति गठित होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(i) सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, अध्यक्ष

(ii) निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, सदस्य

(iii) वित्त विभाग के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून) सदस्य

(iv) गृह विभाग के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून) सदस्य

(v) उप निदेशक/प्रभारी पदाधिकारी विज्ञापन, सदस्य सचिव

समिति ऐसे पत्र/पत्रिकाओं/इलेक्ट्रोनिक चैनलों को विज्ञापन के दर को डी०ए०वी०पी० के मापदंड को आधार मानकर/अन्य राज्यों में निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए दर का निर्धारण करेगी। लेकिन यह दर अधिकतम एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा।

18. सभी समाचार पत्र/पत्रिका/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के सेटेलाईट चैनल/रेडियो/एफ० एम० रेडियो चैनल/वेबसाईट को सूचीबद्ध मात्र 2 वर्षों के लिये किया जायेगा एवं तत्पश्चात विभाग समेकित रूप से प्रतिवेदन तैयार कर प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जहाँ इनके अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा।

19. अन्यान्य

(क) यह नियमावली निर्गत की तिथि से लागू होगी। विज्ञापन की इस नीति के द्वारा इससे पूर्व निर्गत इस विषय पर सभी संकल्प/आदेश/अनुदेश अवक्रमित किया जाता है।

ऐसे आदेशों/अनुदेशों के अवक्रमण के होते हुए भी उक्त आदेशों/अनुदेशों द्वारा किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नीति के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया समझी जाएगी मानो यह नीति उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

(ख) विज्ञापन निर्गत/प्रकाशन के संदर्भ में नियमावली में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विभाग को होगा जो मुख्य सचिव के माध्यम से सरकार की स्वीकृति के पश्चात् किया जाएगा।

(ग) नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी विज्ञापनों का विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्तर से निर्गमन/प्रकाशन निषिद्ध होगा।

(घ) विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर सचिव/निदेशक विज्ञापन प्रकाशन का तत्काल आदेश दे सकेंगे, परंतु इस प्रकार से दिए गए आदेश पर मंत्री की घटनोत्तर स्वीकृति विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ङ) विभाग को यह अधिकार होगा कि वह राज्य के विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु राज्य एवं राज्य से बाहर Multi Media Agencies को सूचीबद्ध कर सकता है तथा उन्हें GFR के तहत कार्य आवंटित कर सकता है।

(च) झारखण्ड राज्य में विभिन्न माध्यमों के प्रसार संख्या/टैम रिपोर्ट/हिट्स आदि की जांच करने हेतु एक स्वतंत्र एजेन्सी की सेवा विभागीय मंत्री की सहमति से प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

झारखण्ड विज्ञापन नियमावली 2015 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

19/5/2015
(संजय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : सं०–वि०नि० –509/13 ..../ राँची, दिनांक ....19.......मई, 2015।
प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/2015
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : सं०–वि०नि० –509/13 ..../ राँची, दिनांक ....19.......मई, 2015।
प्रतिलिपि : सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रमण्डलीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/2015
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : सं०–वि०नि० –509/13 ..../ राँची, दिनांक ....19.......मई, 2015।
प्रतिलिपि : सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, झारखण्ड के मुख्यालय एवं क्षेत्र के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/2015
सरकार के प्रधान सचिव